

दंपति की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई

- ▶ आरोपी भाइयों ने दानपत्र पर दंपति से करा लिए थे हस्ताक्षर
- ▶ संपति हड़पने के इरादे से की हत्या
- ▶ पुलिस ने 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले



भाई के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि हत्या के आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर श्रीकांत (40) और शशिकांत चिचलिया (35) दोनों भाई हैं. आरोपी कजलीखेड़ा के रहवासी हैं. श्रीकांत ने छलपूर्वक एक दानपत्र पर हेमंत और शकुंतला फिलेमोन के हस्ताक्षर करा लिए थे. बुजुर्ग दंपति का मकान हड़पने के उद्देश्य से दोनों आरोपियों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम भी दिया.

संजय कुमार ने बताया कि प्रकरण के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल एवं आसपास

मकान से दुर्गंध आने पर हुआ था खुलासा

थाना ऐशबाग स्थित ओल्ड सुभाष नगर के एक मकान में प्रथम तल पर रहने वाले दंपति हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला फिलेमोन के घर से दुर्गंध आने पर मकान की दूसरी मंजिल पर रहने वाले किरायेदार ने डायल-112 और थाना ऐशबाग पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मृत अवस्था में पाया. घटनास्थल से फायरिंग से संबंधित साक्ष्य मिले, जिनमें कारतूस के खाली खोखे, बुलेट सहित सबूतों को जब्त किया गया. एफएसएल टीम के साथ ही अन्य विशेषज्ञों ने घटनास्थल का परीक्षण किया था. मामले में तुरंत ही विशेष जांच दल का गठन भी किया गया.

के क्षेत्रों में लगे 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके साथ ही सैकड़ों संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. तकनीकी साक्ष्यों, सैकड़ों मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन विक्लेषण, डिजिटल

गढ़ा धन निकालने के लिए की थी बेटी की हत्या

▶ पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया

▶ गला दबाकर खेत में दफना दिया था



63 अप्रैल को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि खलिहान में सोते समय उसकी बेटी को अज्ञात व्यक्ति अपने साथ ले गया. पुलिस ने मामले की जांच की. 7 मई को जिस स्थान से नाबालिग गुम हुई थी, वहां से 200 मीटर दूर खेत में एक कंकाल पुलिस को मिला. मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की. इस दौरान नाबालिग का पिता भी घर से लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कर जांच की गई. पुलिस की जांच के दौरान उसकी पत्नी की भूमिका पुलिस को संदेहास्पद लगी तो पुलिस ने सभी एंगल से जांच की.

से पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी ने लड़की के शव को खेत में दफना दिया. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर

आरोपी एनएसयूआई नेता का पुतला दहन

▶ अभाविप ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किया प्रदर्शन



नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जुलाई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को देर शाम बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन कर दुष्कर्म के आरोपी एनएसयूआई नेता सुभाष यादव का पुतला दहन किया.

एनएसयूआई नेता पर अपने ही संगठन की एक जनजाति छात्रा के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है. अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की. इस दौरान चौराहे पर जाम की स्थिति भी बनी रही. जानकारी के मुताबिक

एनएसयूआई के नेता सुभाष यादव के खिलाफ एक दिन पहले 23 साल की युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया. पिपलानी थाना पुलिस ने पीड़िता को शिकायत पर

जल्द जारी होगी 11 हजार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

भोपाल. जनजातीय कार्यविभाग में जल्द ही करीब 400 उच्च माध्यमिक और करीब 11 हजार माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी हो सकती है. इस मामले में जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी की अध्यक्षता में ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन और विभागीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है. इसके बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि जल्द ही शिक्षकों के लिये अच्छी खबर आ सकती है. वहीं बैठक में शिक्षकों की लॉबित पदोन्नति, वरिष्ठता सूची, गोपनीय चरित्रावली, ट्राइबल भत्ता, और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई. जिसको लेकर विभाग ने सबसे पहले पदोन्नति प्रक्रिया को जलद से जल्द पूरा करने का भरोसा भी जताया है.

महापौर और निगम आयुक्त में तकरार

▶ लंबित शिकायतों के चलते रोकी पदोन्नति

▶ एमआईसी की बैठक तीन घंटे चली बैठक

पदोन्नति रोक दी गई.

जांच बाद में हो, पदोन्नति दी जाए: जनप्रतिनिधि

एमआईसी सदस्य और महापौर सभी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर सहमत थे. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लंबित शिकायतों का निराकरण बाद में होता रहेगा, अभी कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाए. क्योंकि वह अभी दोषी नहीं हैं. इतने दिनों से जांच लंबित क्यों रखी गई. लेकिन निगम आयुक्त का कहना था कि जिन कर्मचारियों की जांच चल रही है, उनको पदोन्नति नहीं दी जा सकती है. इसी मामले को लेकर माहौल गर्मा गया और दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं.



रॉयल मार्केट में आमसभा होने से रहा ट्रैफिक जाम

अस्पताल जाने वाले मरीजों को हुई असुविधा

अस्पताल और मेडिकल स्टोर की दुकानें हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में आमसभा या प्रदर्शन होने से बीमारी की हालत में किसी व्यक्ति को पहुंचाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सभा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने सीएम हाउस के आसपास प्रशासन से अनुमति मांगी थी लेकिन, उन्हें रायल मार्केट के पास उन्हें अनुमति दी गई. पटवारी ने कहा कि यहां अस्पतालों के बीच उन्हें जानबूझ कर अनुमति दी गई. तीन मोहरा, एलबीएस अस्पताल तक कांग्रेस की आमसभा का संचालन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. साइकिल यात्रा का मार्ग इंदौर से चिरायु मेडिकल कॉलेज से भोपाल नगर में प्रवेश, बेरागढ़, लालघाटी चौराहा, कोहेफिजा चौराहा होकर रॉयल रखा गया. रायल मार्केट में कई

किराएदारों की जानकारी रखे पुलिस

▶ पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश

सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जुलाई. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने किराए से रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस के पास रखने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं एवं अन्य स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को होना आवश्यक है.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भोपाल शहर विभिन्न दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है. शहर में

स्थित विभिन्न सुरक्षा श्रेणी प्राप्त वीआईपी एवं यहां स्थित विभिन्न वाईलड इन्स्टालेशन की सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है. भोपाल शहर में काफी संख्या में लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार, व्यवसाय के लिए आवागमन बना रहता है एवं कई बार इनकी आड़ में आपराधिक तत्वों का आवागमन एवं निवास संलिप्त रहकर जान-माल के नुकसान होने जैसी स्थिति बनी रहती है. कई बार आतंकवादी एवं कट्टरपंथी संगठन तथा अवैध प्रवासी भी आकर निवास करते हैं,

मजिस्ट्रेट ने 13 वाहनों के चालान काटे

10 वाहनों से ब्लैक फिल्म हटवाई



सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 15 जुलाई. आईएसबीटी पर बुधवार को जिला न्यायालय के निर्देश पर विशेष मजिस्ट्रेट चैंकिंग अभियान चलाया गया. अभियान का नेतृत्व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आग्नीध्र कुमार द्विवेदी ने किया.

उनके साथ तीन अन्य मजिस्ट्रेट, चार थानों की पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही. अभियान के दौरान वाहनों के दस्तावेज, नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म और अन्य यातायात नियमों की सघन जांच

की गई. जांच के दौरान एक असिस्टेंट कमांडेंट की सरकारी गाड़ी को भी रोका गया. दस्तावेज सही पाए जाने पर उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी गई. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई. करीब 10 वाहनों से अवैध ब्लैक फिल्म हटवाई गई और चालान बनाए गए. इसके अलावा एक वाहन पर प्रतिबंधित सच

लाइट लगाने तथा एक अन्य वाहन पर नंबर प्लेट नहीं होने के कारण चालान किया गया. दस्तावेज नहीं मिलने पर एक डंपर को जब्त भी किया गया. अभियान के दौरान कुल 13 वाहनों के चालान किए गए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इस तरह के विशेष अभियान जारी रहेंगे

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जुलाई. कांग्रेस की 'छात्रों की गुंज' साइक्लोथान यात्रा बुधवार को इंदौर से भोपाल पहुंची. रायल मार्केट में आमसभा के दौरान सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा.

देर शाम को ट्रैफिक जाम होने की स्थिति थी इस दौरान बनी रही. हालांकि यातायात पुलिस ने आमसभा के लिए पहले से ही अनुमति दी थी और मार्ग भी परिवर्तित किया गया था. इसके साथ ही एंबुलेंस और मरीजों के आवागमन को सुविधा का भी ख्याल रखा गया. रायल मार्केट में कई

ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान लालघाटी चौराहा से रॉयल मार्केट की ओर, कोहेफिजा और जीएडी चौराहा से रॉयल मार्केट की ओर, जाने वाले मार्ग को परिवर्तित रखा. इसी तरह मोती मरिजद से रॉयल मार्केट की ओर, कफर्यू वाली माता मंदिर से रॉयल मार्केट की ओर, शाहजहानाबाद से रॉयल मार्केट की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन का मार्ग परिवर्तित रहा. लालघाटी से वीआईपी रोड तक वैकल्पित मार्ग रखा गया.

कॉलेजों में प्रवेश को दूसरे सीएलसी चरण की तारीख बढ़ी

भोपाल, 15 जुलाई. प्रदेश के सरकारी और अनुदान प्राप्त अशासकीय व निजी महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है. उच्च शिक्षा संचालनालय ने सीएलसी (कॉलेज लेवल कार्डसलिंग) चरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई को बढ़ाकर छात्र 31 जुलाई कर दी है. उच्च शिक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि प्रवेश से जुड़ी अन्य सभी शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे. इन दिनों राज्यभर के महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है.

च्वाँइस फिलिंग लॉक नहीं कर पाए कई अतिथि शिक्षक

पोर्टल दोबारा खोलने की मांग

भोपाल, 15 जुलाई. प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया के तहत एक नई तकनीकी और व्यावहारिक समस्या सामने आई है. पोर्टल पर च्वाँइस फिलिंग करने के बाद कई शिक्षक अपने विकल्पों को अंतिम रूप से लॉक करना भूल गए.

इसके बाद निर्धारित समय सीमा समाप्त होते ही विभाग द्वारा पोर्टल को बंद कर दिया गया है. जिससे इन सभी शिक्षकों का

भविष्य अब अंधर में लटक गया है. हैरानी की बात यह है कि इस चूक का शिकार होने वालों में बड़ी संख्या अनुभवी और पुराने अतिथि शिक्षकों की है, जिन्होंने पहले अतिथि शिक्षक के रूप में 1 या 2 साल कार्य किया है.

इन शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने स्कूलों के चयन की प्रक्रिया तो पूरी कर ली थी, लेकिन निवृत्ती की जानकारी के अभाव में विकल्पों को लॉक नहीं कर पाए. ऐसे में वो सीट किसी और को हस्तांतरित होने का डर है. वहीं पोर्टल बंद हो जाने के कारण अब वे पूरी प्रक्रिया से बाहर होने की कगार पर हैं.

सपाक्स कर्मचारी विरोधी संगठन: पांडे

भोपाल. कर्मचारी संगठन सपाक्स अभी भी उच्च न्यायालय में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को रोक लगवाने की मांग कर रहा है. यह कर्मचारी विरोधी रवैया अब कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे. मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि 2016 में सपाक्स ने ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, इस कारण प्रदेश में 10 साल तक पदोन्नति प्रक्रिया रुकी रही और लाखों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए. अभी भी सपाक्स लगातार पदोन्नति प्रक्रिया रुकवाने की पहल कर रहा है.

जांच के 10 दिन बाद भी नहीं दिया नोटिस

▶रोजीवे गांव में अवैध उत्खनन का मामला

जुर्माना वसूलने से पहले अवैध उत्खनन करने वालों को दो बार नोटिस दिया जाता है. पहला खनिज अधिकारी का नोटिस जाता है. आरोपी उसमें सुनवाई के लिए नहीं आता है तो फिर जांच रिपोर्ट और नोटिस की जानकारी कलेक्टर को दी जाती है. उसके बाद कलेक्टर नोटिस जारी करता है. उसके बाद भी अगर अवैध उत्खनन के आरोपी नहीं आते तो फिर राजस्व विभाग एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन की मूल राशि के 15 गुना पेनॉल्टी लगाकर वसूली के लिए संबंधित की संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया की जाती है.

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 15 जुलाई. हुजूर तहसील के रोजीवे गांव में भूमि समतलीकरण के नाम पर अवैध उत्खनन के मामले में खनिज अधिकारी 10 दिन बाद भी नोटिस जारी नहीं कर सके हैं. 6 जुलाई को दो बार जांच हो चुकी है.

कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसे कलेक्टर ने वापस कर दिया और फिर से जांच करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से खनिज अधिकारी ही गायब हो गए. सूत्रों के अनुसार जिस दिन कलेक्टर

प्रियंक मिश्रा ने जांच रिपोर्ट को वापस किया है, उसके बाद से वे ऑफिस नहीं आ रहे हैं. करीब 15 एकड़ भूमि पर समतलीकरण के नाम पर मिट्टी, कोपरा का अवैध उत्खनन किया गया. जांच में 40 हजार क्यूबिक मीटर खुदाई निकली. यह अवैध उत्खनन करने वाले हरिचरण और कोपरा बेचने वाले शैलेंद्र भदौरिया, शेखर पवार पर 40 लाख 40 हजार रुपये की रॉयल्टी नहीं देने का मामला